

तहसीलदार झुंझुनू द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु राजस्ता प्रस्ताव मय दरसावेजात पेश किया गया। पटवार मण्डल कुलोरकला के राजस्व ग्राम दोसरसर के हाल भूमि खसरा नं. 1115 में से जाने वाले रास्ते में मौके पर राजस्ता चालु हालत में है, जो कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा देश, जमाबंदी इत्यादी में राजस्ता दर्ज करने की अभिषंशा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद अवलोकन राजस्ता प्रस्ताव पर तहसीलदार झुंझुनू को सुना गया। रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू पाया गया। रास्ते सुनिश्चित होने से काश्तकारों में अनावश्यक विवाद नहीं होते है। राजस्ता सुनिश्चित होने से आराजी तक पहुंच सुगम रहती है। सुगम पहुंच भूमि सुधारों का क्रियान्वयन सुगम बनाती है। सुनिश्चित, सुनिश्चित राजस्ता जोत का महत्व और मूल्य बढ़ा देता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2)रा-6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकॉर्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: आदेश :-

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक राजस्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक राजस्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन राजस्ता दर्ज करें। राजस्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 राजस्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैसेल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

(Signature)

उपरिष्ठ अधिकारी
(राज.)